International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

महिलासशक्तिकरण.समाज का चहुँमुखी विकासमें प्रयास

शोधार्थी, प्रीति साहू
श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प्र
शोध निर्देशक, डॉ रिशिकेश यादव
श्री सत्य सॉई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर म.प्र

"नारी तुम शक्ति हो, तुम ज्ञान हो, तुम ही संस्कारों की खान हो।
क्रान्ति की अग्रदूत, गौरव का तुम सार, नारी तुम चेतना का आह्वान हो।"

Abstract:

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। महिलाएं जीवन की आधारभूत कड़ी है। इसके बिना कोई भी विमर्श, अनुष्ठान, संदेश, कार्यक्रम, अंतर्विरोध फीका लगता है। हम यह भी कह सकते है कि महिलाएं इस समाज की आधारषिला है।महिला सशक्तिकरण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि महिलाओं में शिक्षा का आधार व्यापक हो और वह गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च स्तर का हो। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो व्यक्ति को निपुण एवं ज्ञानवान बनाती है। सामाजिक शोध का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना और उस पर अधिक नियंत्रण पाना है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सामाजिक शोधकर्ता या समाजशास्त्री को समाजसुधारक, नैतिकता का प्रचार–प्रसार करने वाला या तात्कालिक सामाजिक नियोजनकर्ता होता है। बहुसंख्यक लोग समाजशास्त्रियों से जो अपेक्षा रखते हैं, वह वास्तव में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बाहर की होती है।

keywords:महिलाएसामाजिकआंदोलन

1प्रस्तावना

नारी का मानव की सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते ह। अनेक परिवारों से समुदाय आरै अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परन्तु नारी की प्रस्थिति सभी समाजों में एक–समान नहीं है। जिस तरह परिवार में नारी व पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते है, उसी तरह समाज मे भी नारी और पुरूष के कार्यों व स्थान में भिन्नता पाई जाती है किसी समाज में यदि नारियों को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है तो किसी समाज में उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम अधिकार

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

प्राप्त होते है। भारतीय नारी की सामाजिक प्रस्थिति और समस्याओं का अध्ययन अपने में एक बड़ा जटिल विषय है। इतना ही नहीं, वरन् आदर्श आरै व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर यदि नारी को 'गृहस्वामिनी', 'अर्द्धांगिनी', 'देवी' कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव ही पर–निर्भरता की स्थिति में बताई जाती ह ै विभिन्न शास्त्र परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत करते ह ैं इसलिए उनकी समस्याओं पर विचार करना कठिन हो जाता है। फिर भी, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हमारे समाज की नारी पीड़ित है।

आजादी के बाद अस्सी का दशक भारत में स्त्री आंदोलन का दशक माना जाता है जब महिलाएं एक तरफ स्त्री के मसले पर लड़ रही थीं और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन जारी थे। राजनीति में अपनी हिस्सेदारी से लेकर वह जल,जंगलऔर जमीन की लड़ाई में लगी रही। बिहार में जमीन की लड़ाई में मूल रुप से वामपंथी पार्टियों का असर रहा है। 80 के दशक में नक्सल आंदोलन का विस्तार हुआ। राजनीतिक शक्तियों के रुप में खुद को स्थापित करते के लिए उन्होंने संसदीय राजनीति का रास्ता चुना।आजादी के बाद अस्सी का दशक भारत में स्त्री आंदोलन का दशक माना जाता है जब महिलाएं एक तरफ स्त्री के मसले पर लड़ रही थीं और दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन जारी थे। आजादी के बाद 80 का दशक भारत में स्त्री आंदोलन का दशक माना जाता है। महिलाएं एक तरफ स्त्री के मसले पर लड़ रही थीं दूसरी तरफ देष में चले सभी प्रमुख आंदोलन में उसकी हिस्सेदारी रही। राजनीति में अपनी हिस्सेदारी से लेकर वह जल,जंगलऔर जमीन की लड़ाई में लगी रही। बिहार में जमीन की लड़ाई में मूल रुप से वामपंथी पार्टियों का असर रहा है। 80 के दशक में नक्सल आंदोलन का विस्तार हुआ। राजनीतिक शक्तियों के रुप में खुद को स्थापित करते के लिए उन्होंने संसदीय राजनीति का रास्ता चुना।

1.1सामाजिक सषक्तिकरण–

सामाजिक सषक्तिकरण से तात्पर्य समाज में अपनी सही पहचान, सकारात्मक सोच और सामाजिक गतिविधियों में अपनी सक्रियता प्रकट करने से है। महिलाऐं सामाजिक रूप से सषक्त होंगी तभी समाज विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसलिये समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ करना ही सामाजिक सषक्तिकरण कहलाता है। किसी भी समाज का चहुँमुखी विकास तब तक संभव नहीं है जब तक पुरूष के समान स्त्री को समाज में समुचित स्थान नहीं दिया जाये। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व का यह मूलाधार है। महिलाएं जीवन की आधारभूत कड़ी है। इसके बिना कोई भी विमर्श, अनुष्ठान, संदेश, कार्यक्रम, अंतर्विरोध फीका लगता है। हम यह भी कह सकते है कि महिलाएं इस समाज की आधारषिला है। यह सिर्फ भोग विलास का माध्यम ही नहीं है, बल्कि परिवार का आधार भी है और इस समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था के परिवर्तन में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी राष्ट्र की परम्परा एवं

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती हैभारत के प्राचीन धर्मग्रन्थों में लिखा है:

यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः।

स्वामी विवेकानन्दके शब्दों में ''औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। एक पंखसे चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती।'' 1925 में गांधी जी ने भी कहा था, 'जब तक महिलाएँभारत के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेती है तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता।वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध एवं मजबूत समाज/राष्ट्र का द्योतक है। आदि से आज तक के मानव जीवन के विकास में उसकी महती भूमिका के कारणपहचान के कारण उन्हें अर्द्धांगिंनी की संज्ञा दी गयी है।

1.2महिला सशक्तता में शिक्षा की भूमिका

किसी भी राष्ट्र की परम्परा एवं संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है भारत के प्राचीन धर्मग्रन्थों में लिखा है: यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवताः। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में ''औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती।'' 1925 में गांधी जी ने भी कहा था, 'जब तक महिलाएँ भारत के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेती है तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध एवं मजबूत समाज/राष्ट्र का द्योतक है। आदि से आज तक के मानव जीवन के विकास में उसकी महती भूमिका के कारण पहचान के कारण उन्हें अर्द्धांगिंनी की संज्ञा दी गयी है। मानव जीवन रूपी रथ की वह एक पहिया है। जिस तरह मानव शरीर पूर्णतः स्वस्थ एवं विकसित तभी माना जाता है, जब सभी अंग स्वस्थ एवं प्रौढ़ हों, उसी तरह मानव समाज तभी स्वस्थ एवं विकसित माना जायेगा जब सम्पूर्ण समाज का आधा भाग (नारी) भी दूसरे भाग (पुरूष) की तरह स्वस्थ, सुदृढ़ एवं विकसित हो। वैदिक काल तक भारतीय महिलाएँ पूर्णतः सशक्त एवं सहभागी थी। मध्यकाल से कई सौवर्षो की गुलामी की अवधि में अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें घर की चारदिवारी कीलक्ष्मण रेखा में कैद कर दिया गया। फलस्वरूप कई तरह की हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कुप्रथाओं ने महिलाओं के विकास की प्रक्रिया को रोकने का काम करने लगे। इतना ही नहीं इन्होनें पहले बहुत नुकसान किया है और आज भी महिलाओं के विकास में बाधक हैं। यदि इन अवरोधों को दूर कर दिया जाता है तो उनके विकास की गति को पंख लग सकते है। शिक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, सम्मान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। महिलाओं के शोषण का एक महत्वपूर्ण कारण है उनका अशिक्षित होना। अतः महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रयास महिलाओं को शिक्षित का उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर होना चाहिये। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लडने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता के बढने पर ही महिलाऐं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। सुयोग्यता एवं सबलता महिला सशक्तिकरण की वास्तविक पहचान है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिला में इतनी जागरूकता लाती है कि वह शिक्षा द्वारा सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करती है एवं अपने जीवन को स्वयं

निर्देशित कर घर एवं बाहर के निर्णयों में उसकी भागीदारी को बढ़ाती है।महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एक–दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो महिलाओं के व्यक्तित्व में अपेक्षित विकास ला सकता है। समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। समाज की मानसिकता एवं दृष्टिकोण को बदल सकता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक बना सकता है। और उनमें आत्मविश्वास को उत्पन्न कर सकता है। जिससे अन्ततः महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय समाज में कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक व सामाजिक कारणों से महिलाओं की स्थिति कमजोर वर्ग की बनी हुयी है।वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को शैक्षिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्तबनाने में व्यापक परिसंवाद सर्वत्र चर्चा में है। वास्तव में सशक्तिकरण एक अन्तः सामाजिक प्रक्रिया है सशक्तिकरण शैक्षिक सामाजिक व आर्थिक असमानता को घोषित करने वाले भेदभाव पूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित सामाजिक मान्यताओं, विचारधाराओं, धार्मिक आस्थाओं तथा विधानों

को चुनौती देती है। सामाजिक एवं समरसत पर आधारित सम्बन्धों की स्थापना करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि महिलाओं में शिक्षा का आधार व्यापक हो और वह गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च स्तर का हो। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो व्यक्ति को निपुण एवं ज्ञानवान बनाती है। और उसमें सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करती है।

स्वाधीनता के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता का मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर उठा। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत काम हुआ है। जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो उनका महत्व और बढ गयज्ञं

1.3सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण की अवधारणा विष्व में खासकर तीसरी दुनिया के नारीवादियों की आलोचना एवं वाद–विवाद का प्रतिफल है। इसका स्त्रोत लैटिन अमेरिका में 1970 में विकसित हुआ। सशक्तिकरण नारीत्व एवं प्रचलित षिक्षा की अवधारणा के मध्य की अन्तः क्रिया को माना जा सकता है। पूरे विष्व में घटित होने वाले नारी

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

आन्दोलनों के रूप में इस अवधारणा को देखा जा सकता है।'सशक्ति' से तात्पर्य उस षक्ति के पुर्नवितरण के अवतरण से है जो कि पुरातन अवधारणा एवं पौरूषिक सत्ता को चुनौती देता है।सशक्तिकरण का सरल मतलब 'शक्ति से युक्त होना' से लिया जाता है। यह वह क्रिया है जो कि समाज के अवयवों (तत्वों) को मजबूत करता है। यह उन संरचनाओं एवं संस्थाओं का रूपान्तरण है जो कि लिंगभेद को पुर्नबलित एवं षाष्वत करता है। यह वह प्रक्रिया है जो कि महिलाओं को सूचना, संसाधन एवं विभिन्न साधनों की प्राप्ति एवं उन पर नियन्त्रण करने के लायक बनाती है।

1.4महिलाओं से सम्बंधित सामाजिक कुरीतियाँ

तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बंधित अनेक सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान थीं जैसे बाल–विवाह शिशु–हत्या सती–प्रथा विधवाओं की दयनीय दशा तथा निम्न–स्तरीय नारी शिक्षा आदि आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कुछ बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये उदाहरण के लिए 1793 एवं 1804 ई के बंगाल रेगुलेशन एक्ट द्वारा शिशु–हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई पर ये सभी कदम और प्रयास बेकार चले गये और महिलाओं से सम्बंधित कुरीतियाँ समाज में जस की तस बनी रहीं. महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए सबसे पहले संगठित प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया. उन्होंने वैचारिक आन्दोलन चलाये जाने के साथ–साथ व्यावहारिक स्तर पर भी कई प्रयास किये उन्होंने बहुविवाह, कुलीनवाद तथा सती–प्रथा आदि का विरोध करने के अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनाने की भी वकालत की उनके लगातार प्रयास का ही यह परिणाम था कि लॉर्ड बैंटिक ने 4 दिसम्बर 1829 ई को अधिनियम–17 पारित कर सती–प्रथा को गैर–कानूनी घोषित कर दिया समकालीन समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा–विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाये जाने के लिए आजीवन प्रयास किये उनके प्रयासों का ही प्रतिफल था कि 1856 ई में हिन्दूविधवा–पुनर्विवाह कानून के रूप में देखी जा सकती है इसकी व्याख्या दो आधारों पर की जा सकती है एक सती–प्रथा के उन्मूलन के साथ समाज सुधार के लिए सरकारी विधि–निर्माण माहौल तैयार हुआ और दूसरा सती–प्रथा के वास्तविक उन्मूलन के लिए विधवाओं की दशाओं में सुधार होता दिखाई देने लगा ।आजादी के बाद देश में जो समाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव हुए उस बदलाव में स्त्रियों की साझेदारी रही है। साझेदारी से ज्यादा उसने घर और बाहर के मोर्चे पर दोहरी लड़ाई लड़ी। पर ये लड़ाईयां इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुई, जो कुछ नाम दर्ज हैं वे इसलिए कि इन नामों के बिना इतिहास लिखा नहीं जा सकता था वर्जीनिया वुल्फ ने एक जगह लिखा है 'इतिहास में जो कुछ अनाम है वह औरतों के नाम है।' इतिहास में औरतों की भूमिका हमेशा से अदृश्य रही है। उसकी एक वजह है कि हम इतिहास चेतन नहीं रहे।

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

अतीत में हुए संघर्ष को देखते हुए हम ये कह सकते हैं स्त्री के भीतर आजादी की आग है। और उसकी पहली लड़ाई है वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना। यही वजह है कि आज स्त्रियाँ परिवार में श्रम के विभाजन,पारवरिक संबंधों में उसकी उपस्थिति और सत्ता में उसकी जगह को लेकर आंदोलित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्रियों का आंदोलन एकालाप में नहीं चलता। समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका का भले ही आंकलन नहीं हुआ हो सच तो यह है कि सभी आंदोलनों में उसकी भागीदारी रही है। देश में 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। जिस आंदोलन ने सत्ता की नींव हिला दी। उसमें बड़ी संख्या में स्त्रियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज स्कूलों से निकलकर निरंकुश सत्ता के खिलाफ वे सड़कों पर थीं। स्त्री जब भी किसी आंदोलन का हिस्सा होती हैं, तो वह एक साथ कई वर्जनाओं को तोड़ती है।

2महिला विकास योजनायें

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा महिला एवं बाल विकास एवं सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन समय समय पर किया है जिससे महिला एवं बाल विकास के क्षेत्रा में इन योजनाओं का उल्लेखनीय योगदान रहने के साथ मील का पत्थर साबित हुई हैं।

प्रमुख योजनायें निम्नानुसार है :–

1. स्टेप– राष्ट्रीय नमूना, सर्वेक्षण (एन.एस. एस.ओ.) के आँकड़े अनुसार 2005 में 15 साल में अधिक उम्र की 33.3 फीसदी महिलाऐं कामकाग में लगी है। लेकिन 2011–12 के अनुसार 25.3 फीसदी रह गया है। शहरी क्षेत्राों में यह आंकड़ा 16.6 फीसदी से घटकर 14.7 फीसदी हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह रोजगार के अनुसार कौशल महिलाओं व लडकियों में न होना। सरकार ने 1986–87 में स्टेप योजना को चलाया गया, जिसमें केन्द्रीय वित्तीय सहायता, प्राप्त इस योजना में लडकियों के कौशल के लिए प्रशिक्षित चलाये जाते हैं। परन्तु 2014 में संशोधन और उन्हें स्वरोजगार प्राप्त कर अपना उधम आरंभ करने लायक बनाना। वर्ष 2013–14 में 31000 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया, रोजगार के 10 परम्परागत क्षेत्रा शामिल हैं– क षि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हाथकरघा, हस्तशिल्प, खादीग्राम उद्योग, रेशम कीट पालन, वानिकी विकास आदि।

2. स्वधारा– वर्ष 2001–2002 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुद्ध की गई जो कि कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लिए बनाई गई जैसे परिव्यक्ता महिलाएँ, विधवा आश्रमों में रह रही निराश्रित महिलाऐं, प्राक तिक आपदा से जिंदा बची महिलाऐं। देश में वर्तमान में 311 स्वधारा यह कार्य कर रहे हैं।

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

3. कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल व्यवस्था– कामकाजी महिलाओं व उनके बच्चों की देखभाल हेतु हॉस्टल निर्माण व विस्तार हेतु यह योजना वर्ष 1972–73 से चल रही है। ऐसी महिलाओं के लिए है जो अकेली रहती हो, जिनके पति शहर से बाहर रहते हो, विधवाओं परिव्यक्ताओं तलाकशुदा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हो, स्कूली शिक्षा उपरांत व्यवसायिक पाठ्यक्रम कर रही हो, उन महिलाओं की सुरक्षा व किफायती आवास दिलाने हेतु शुरू की गई।

4. स्वालबंन योजना– इस योजना को महिलाऐं के आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह 1982–83 में समस्त देश में लागू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद महिलाओं व समाज की कमजोर महिलाओं को शामिल किया जाता है। इसमें महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रा के निगमों स्वायत्त संगठनों न्यासों व सवैच्छिक संगठनों से वित्तीय सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय महिला सषक्तिकरण नीति– राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में भविष्य के लिए महिलाओं की जरूरतों का समाधान कर उनकी उन्नति, विकास व सशक्तिकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित कार्ययोजनाओं के तौर पर बनाई गई थी।

6. स्वार्णिम योजना– राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की है। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2002 में संचालित की गई जिसमें 50 हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत निर्धारित है।

3सुझाव

7. महिलाओं के लिए ऐसी परामर्श (काउंसलिंग) सेवाएं व आश्रय गृह स्थापित करें जिन्हें वे आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रातिशीघ्र प्रयोग कर सकें।
8. अन्य लोगों–विशेषकर बड़े व अधिक शक्तिशाली संगठनों से समर्थन प्राप्त करें। उदहारण के लिए यह देखें कि क्या आपके देश में स्वस्थ्य संस्थाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो सहायता कर सके।आप समुदाय के ऐसे माननीय सदस्यों से भी इस विषय पर चर्चा कर सकती है जिन पर आप विश्वास करती हैं।आपने साथ, जितने लोग हो सके, इस कार्य में लगाएं।

References

[1] .भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 तक।
[2] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा, 1945–अनुच्छेद 7 'पहले सभी समान

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023

हैं' कानून और बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण के हकदार हैं कानून'।

[3] लवानिया, एम.एम. (1989),''समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एव विधियाँ'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।

[4] . अ सारी, एम.ए. (2001), ''महिला और मानवाधिकार'', ज्या ति प काशन, जयपुर। 5. मिश्रा के.क . (1965), '''विकास का समाजशास्त्र'', व शाली प काशन, गोरखप ुर।

[5] श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), ''भारत में महिलाओं की व धानिक स्थिति'', कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

[6] . जैन, प तिभा (1998), ''भारतीय स्त्री : सा स्कृतिक सन्दभ '', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

[7] तिवारी, आर.पी. (1999), ''भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान'', नइ दिल्ली।

[8] बघ ला, डॉ. ह त सिंह (1999), ''शिक्षा मना विज्ञान'', विना द प ुस्तक मंदिर, आगरा

[9] कानिटकर मुकुल 'भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका,' या जना सितम्बर 2016

[10] व्यास डा 0 मिनाक्षी, नारी चेतना और साामजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर 2008

[11] सुषीला कुजूर, आभा रूपेन्द्र पाल. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समानांतर सिनेमा में पारंपारिकता तथा आधुनिकता का निर्वहन करती स्त्री. Int- J- Rev- and Res- Social Sci- 2018य 6(2): 151—156 .

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 02 | Feb-2023